FP/UP/THE/36097/2018-EDS raised on 12.03.2020

EDS Compliance

S. No.	Observations	Compliance
1.	ऑनलाइन पार्ट-1 के क्रमांक- ।.1 (ii)में वन प्रभाग के नाम सहित परियोजना का पूर्ण विवरण एवं वनभूमि हस्तान्तरण का उद्देश्य फीड नहीं किया गयाहै।	Regularization of 555.759 ha of diverted forest land for the construction of Rihand Super Thermal Power Project under Renukoot Forest Division in Sonebhadra district of Uttar Pradesh.
2.	ऑनलाइन पार्ट-1 के A-1 (iii) में वन प्रभाग के नाम सहित परियोजना का पूर्ण विवरण फीड नहीं किया गया है।	Rihand Super Thermal Power Project is a coal based power plants of NTPC Limited. The power plant is located at Rihandnagar, Bijpurunder Renukoor Forest deptt. in Sonbhadra district of Uttar Pradesh. Rihand Super Thermal Power Station has an installed capacity of 3000 MW. The First unit was commissioned in March 1988. The water source is from Rihand Reservoir which is constructed on Renukas river.
3.	ऑनलाइन पार्ट—1 के A-3 (xvii) में अपलोड किये गये अधिकृत पत्र में प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल अपलोड किये गये क्षेत्रफल से भिन्न अंकित किया गया है। अतः तदानुसार संशोधित करते हुये अधिकृत पत्र अपलोड करें तथा Additional Information Detail से पुराना डिलिट करें।	Authorization letter revised as suggested and uploaded under A-3 (xvii) and old letter removed from additional details.
4.	ऑनलाइन पार्ट—1 के क्रमांक—B-1 के Proposal Submitted in Past में Date of In-Principle Approval गलत फीड की गयी है।	In-principal approval for the diversion of 744 ha forest land was obtained vide file no. 8-412/89-FC dated 23.08.1991. The corrected information has also been uploaded. However, previous uploaded information could not be deleted from User Agency end.
5.	ऑनलाइन पार्ट—1 के क्रमांक—B-2.4 के Component wise breakup में village wise breakup फीड किया गया है, जोकि गलत है। अतः Component wise breakup अपलोड करें।	Component wise breakup has been uploaded
6.	ऑनलाइन पार्ट—1 के क्रमांक—C-(ii) (a) में 8 पैचों में प्रस्तावित वनभूमि की kml file अपलोड की गयी है, जबिक ऑनलाइन पार्ट—1 के क्रमांक—C-(iii) में अपलोड किये गये Sol Toposheet एवं क्रमांक—C-(iv) में अपलोड किये गये Geo Referenced Digital Map में प्रस्तावित वनभूमि के 09 पैच दर्शाये गये है। अतः इस भिन्नता को दूर करते हुये सही ।उस पिसम एवं सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित सही Sol Toposheet तथा Geo Referenced Digital Map यथास्थान अपलोड करें।	Revised Kml file has been revised & uploaded in 9 patches under point C-(ii) (a). SOI Map and Geo Referenced Digital Map uploaded under point C (iii) and C (iv) respectively
7.	ऑनलाइन पार्ट—1 के क्रमांक—C-(iii) में अपलोड किये गये Sol Toposheet पर शीर्षक गलत अंकित किया गया है तथा अधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित भी नहीं है।	Title of the SOI map has been revised and uploaded under point C (iii)
8.	ऑनलाइन पार्ट—1 के क्रमांक—C-(iv) में अपलोड किये गये Geo Referenced Digital Map पर शीर्षक गलत अंकित किया गया है तथा अधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित भी नहीं है। इसके अतिरिक्त Geo Coordinates न तो मैप पर दर्शाये गये है और न ही अलग से संलग्न कर अपलोड किये गये है।	Title of the DGPS map has been revised and duly signed copy of DGPS map with geo-coordinates has been uploaded under point C (iv).
9.	ऑनलाइन पार्ट—1 के क्रमांक—F-(ii) में अपलोड किया गया Resettlement Plan अधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं है।	Duly signed copy of the Resettlement plan has been uploaded under point F (ii)
10.	ऑनलाइन पार्ट—1 के क्रमांक—F-(ii) (a) में अपलोड किया गया Copy of approval to Ministry of Tribal Affairs,Government of India to Rehabilitation	Duly signed copy of approval to Ministry of Tribal Affairs, Government of India to Rehabilitation and Resettlement under point no. F (ii) (a) has been

Dieetkund

S. No.	Observations	Compliance
	and Resettlement अधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं है।	uploaded.
11.	ऑनलाइन पार्ट—1 के क्रमांक—G-(a) में अपलोड किये गये Cost-Benefit analysis में गणना गलत है। अतः भारत सरकार के निर्देशानुसार सही Cost-Benefit analysis अपलोड करें।	Cost benefit has been revised and uploaded under point G (a)
12.	ऑनलाइन पार्ट–1 के क्रमांक ज्ञ में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने की वचनबद्धता/प्रमाण पत्र अपलोड करे।	FRA certificate has been obtained from district collector and uploaded under point K
13.	ऑनलाइन पार्ट—1 के क्रमांक H में'No' फीड किया गया है, जबिक Additional information Details में ENVIRONMENT CLEARENCE अपलोड किया गया है। अतः तदानुसार सूचना फीड करें।	Stage wise Environmental Clearance was obtained vide file no. J13011/30/87-IA.III dated 12.05.1992, 22.02.1999 & 5.02.2009. details & Copy of the approval is uploaded under Point H and additional details.
14.	ऑनलाइन पार्ट—1 के Additional information Detail में अपलोड किया गया गजट पूर्ण नहीं है। अतः प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित एवं चिन्हित पूर्ण गजट अपलोड करें।	Duly signed gazette notification has been uploaded under additional details.
15.	ऑनलाइन पार्ट–1 के Additional information Details में अपलोड किये गये Tree Detail में व्यासवार, वैज्ञानिक नाम सहित सारांश/सूची अपलोड नहीं है।	Signed copy of tree summary is uploaded under addition details
16.	ऑनलाइन पार्ट—1 केadditional information Details में अपलोड किये गये LAND OUSTEES LIST में प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल गलत अंकित किया गया है।	Revised list is uploaded under additional details.
17.	ऑनलाइन पार्ट—1 के Additional informationDetails में अपलोड किये गये Land Schedule में 744 हैं0 वनभूमि में से एन0टी0पी0सी0 द्वारा उपयोग में न लायी जाने वाली वनभूमि जो वन विभाग को वापिस की जाने हैं, का उल्लेख गणना में नहीं किया गया है। अतः तदानुसार उपयोग में ली जाने वाली तथा वन विभाग को वापिस की जाने वाली वनभूमिकी गणना संलग्न कीजाये।	Land scheduled has been revised and uploaded under additional details.
18.	ऑनलाइन पार्ट—1 के Additional informationDetails में अपलोड किये गये Stage-I Clearance Compliance की दोनो बर्तों के अनुपालन में जमा की गयी धनराषि से सम्बन्धित अभिलेख / डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न कर अपलोड नहीं किया गया है। अतः भारत सरकार के पत्र दिनांक 23.08.1991 द्वारा निर्गत सैद्वान्तिक स्वीकृति की पूर्ण बिन्दुवार अनुपालन आख्या अभिलेखों सहित अपलोड करें।	Stage-I Clearance Compliance has been uploaded with all the requisite information's under additional details.
19.	ऑनलाइन पार्ट—1 के Additional informationDetails में अपलोड किये गये EDS Compliance की षर्त सं0—3 तथा प्रकरण में दिनांक 14. 12.2017 को मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक की कार्यवृत्त में उल्लिखित षर्त सं0—3 का अनुपालन नहीं किया गया है। अतः कार्यवृत्त की षर्त सं0—3 के अनुपालन में एन०टी०पी०सी० द्वारा उपयोग में न लायी जाने वाली वनमूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण की कार्यवाही पूर्ण करांते हुये मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर की रिपोर्ट अपलोड करें।	The 188.241 ha forest land has been returned to the forest deptt. The DFO, Renukut has verified the same on dated 16.01.2021 and certify that 188.241 ha encroachment free forest land has been demarcated by pillars on ground and returned to the Forest department. Further verification by CCF is under progress. Copy of the certificate issued by DFO, Renukoot is uploaded under additional details.
20.	ऑनलाइन पार्ट—1 के Additional informationDetails में एन0पी0वी0 में संशोधन के उपरान्त बढ़ी हुई धनराशि उपलब्ध कराने की वचनबद्धता, प्रस्तावित आरक्षित वनभूमि का जिलाधिकारी से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम (वनभूमि का मूल्य) और प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट वन विभाग के पक्ष में भुगतान की वचनबद्धता,	Undertakings has been uploaded under additional details Complied and uploaded under additional details

S. No.	Observations	Compliance
	परियोजना से 10 किमी0 की परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव विहार न होने के सम्बन्ध में प्रमाण—पत्र	Complied uploaded under additional details
	भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में मलवा उत्सर्जन के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया गया है।	Complied uploaded under additional details

Date: 05/03/2021

Place: Sonbhadra

Authorized signatory 05.03.21.

अजील कुमार/AJEET KUMAR चरि० प्रबंधक (मानव संसाधन)/Sr. Manager (HR) एनटीपीसी-रिहंदनगर/NTPC-Rihand Nagar सोनभद्र (उ०प्र०)/Sonebhadra (U.P.) 231223